

विभागीय योजनाओं की जानकारी

विभागीय लक्ष्य एवं उपलब्धि की जानकारी अप्रैल से नवम्बर 2019 तक

क्र.	योजना का नाम	योजना का विवरण	योजना के हितग्राही	योजना हेतु पात्रता	विभागीय लक्ष्य	उपलब्धि
1	जननी सुरक्षा योजना	सुरक्षित मातृत्व, मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु को कम करने एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु "जननी सुरक्षा योजना" संचालित है।	समस्त गर्भवती महिलायें	समस्त ए.पी.एल. एवं बी.पी.एल. परिवारों की गर्भवती महिलायें जो प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वास्थ्य संस्था में जनरल वार्ड में भर्ती रहकर प्रसव होने पर।	25785	14075
2	मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना	मध्यप्रदेश में योजना का शुभारंभ 13 जून 2018 को किया गया है। उद्देश्य - प्रतिपूर्ति राशि प्रदान कर श्रमिक संवर्ग के हितग्राहियों में संस्थागत प्रसव प्रोत्साहित कर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।	श्रमिक संवर्ग की समस्त गर्भवती महिलायें	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, मुख्यमंत्री हाथटेला एवं सायकिल रिक्षा चालक योजना 2009, मुख्यमंत्री (पथ कर विक्रय अंतर्गत पंजीकृत, मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावती सहायता योजना, केष शिल्पी योजना-2013) प्रसूति अवकाष सहायता केवल दो प्रसूतियों तक ही देय होगा। प्रसूति अवकाष सहायता अंतर्गत मजदूरी के समतुल्य राशि पाने की पात्रता केवल श्रमिक संवर्ग के हितग्राहियों को ही होगी।	14120	4697
3	निःशुल्क परिवहन योजना	निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था अन्तर्गत "जननी एक्सप्रेस योजना" संचालित है जिसमें गर्भवती महिलाओं एवं बीमार बच्चों को उनके निवास से शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में लाने एवं वापस घर छोड़ने की सुविधा प्रदान की जाती है। हितग्राही राज्य स्तरीय कॉल सेंटर के टेलीफोन नम्बर 108 पर फोन करके सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था पूर्णतः "निःशुल्क" है।	समस्त गर्भवती महिलायें एवं 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे	समस्त गर्भवती महिलायें एवं बीमार बच्चे	31920	25023
4	निःशुल्क औषधि वितरण योजना	निःशुल्क औषधि वितरण योजना प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रत्येक वर्ग के रोगियों को आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।	प्रत्येक वर्ग के समस्त रोगी	प्रत्येक वर्ग के समस्त रोगी जोकि ओ.पी.डी. समय तथा अंतःभर्ती रोगी		

क्र.	योजना का नाम	योजना का विवरण	योजना के हितग्राही	योजना हेतु पात्रता	विभागीय लक्ष्य	उपलब्धि
5	निःशुल्क चिकित्सकीय जांच योजना	निःशुल्क चिकित्सकीय जांच योजना प्रदेश की समस्त स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रत्येक वर्ग के रोगियों को आवश्यक पेथालाॅजी जांच की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।	प्रत्येक वर्ग के समस्त रोगी	प्रत्येक वर्ग के समस्त रोगी जोकि ओ.पी.डी. समय तथा अंतःभर्ती रोगी		
6	निःशुल्क डायलिसिस योजना	किडनी रोग से प्रभावित मरीजों के समुचित उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में डायलिसिस यूनिट का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।	प्रत्येक वर्ग के समस्त रोगी	बी.पी.एल. वर्ग के समस्त रोगी जो किडनी रोग से प्रभावित हैं हीमोडायलिसिस निःशुल्क एवं अन्य वर्ग हेतु हीमोडायलिसिस सत्र 500/- रूपये का शुल्क	22	22
7	आयुष्मान भारत योजना	राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत पात्र वंचित श्रेणी के प्रत्येक परिवार को रू. 5.00 लाख प्रति वर्ष केशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना।	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना में चिन्हित परिवार	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना में चिन्हित- 1. ऐसे परिवार जो एक कमरे के मकान में निवास करते हैं। 2. परिवार जिसमें 16-59 वर्ष का व्यस्क सदस्य नहीं है। 3. परिवार की मुखिया महिला है, जिसमें 16-59 वर्ष में पुरुष सदस्य नहीं है। 4. दिव्यांग सदस्य, जिसमें इंद्रिय अक्षम पुरुष नहीं है। 5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार 7. भूमिहीन परिवार, जिनका आय का स्रोत मजदूरी से प्राप्त होता है। स्वतः समावेसित परिवार - बिना पक्की छत मकान वाले, भीख पर आश्रित निर्धन, सिर पर मैला ढोने वाले परिवार, विशेष जनजाति समूह, छुड़ाये गये बंधुआ मजदूर।	206574	1950